उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना (सैक्टर कार्यक्रम)

परियोजना प्रबन्धन इकाई,

स्वजल परियोजना, पेयजल विभाग,

उत्तराखण्ड

आउटकम बजट

वर्ष 2013–14

सूची

विषय–वस्तु पृष्ठ संख्या

1.विभाग के कार्यकलापों की संक्षिप्त टिप्पणी.....3
1.1 संगठनात्मक ढॉचा.....3
1.2 स्वजल परियोजना द्वारा संचालित योजनायें/कार्यक्रमों की सूची तथा लक्ष्य एवं नीतियॉ.....4
1.2.1 विश्व बैंक पोषित 'उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियेाजना (सैक्टर कार्यक्रम).....4
1.2.2 निर्मल भारत अभियान.....6
1.2.3 संचार एवं क्षमता विकास इकाई/जल एवं स्वच्छता सहयोगी संगठन (डब्ल्यू0एस0एस0ओ0).....10
1.2.4 पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी.....10
1.3 परियोजना द्वारा संचालित कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारीः– 11
2. वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु प्रस्तावित योजना.....11
3. विभाग में किए गये सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पहल (Initiatives) 15
4. गत वर्ष की परफौरमेन्स की समीक्षा 16
योजनावार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति के विवरण (वर्ष 2012–13).....16
5. वित्तीय वर्ष 2012–13 (माह फरवरी 2013 तक) परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना की वित्तीय उपलब्धि 18

1.विभाग के कार्यकलापों की संक्षिप्त टिप्पणी

1.1 संगठनात्मक ढॉचा

परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है। संस्था का मुख्यालय देहरादून में स्थित है तथा जनपद स्तर पर कार्य करने हेतु समस्त जनपदों में जिला परियोजना प्रबन्धन इकाईयॉ स्थापित की गई हैं। संस्था का संगठनात्मक ढॉचा निम्नवत है–

ifj;kstuk Áca/ku bdkbZ dk <kapkxr pkVZ

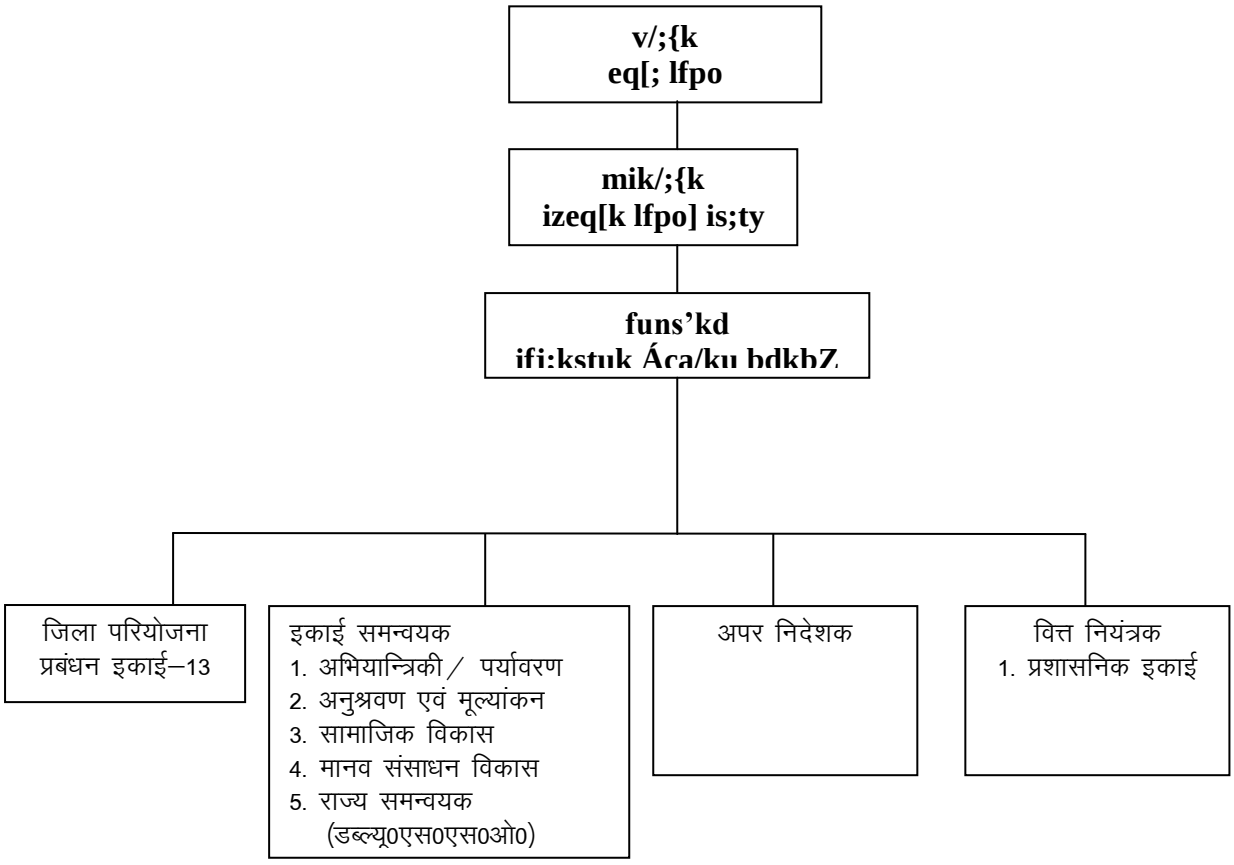

1.2 स्वजल परियोजना द्वारा संचालित योजनायें/कार्यक्रमों की सूची तथा लक्ष्य एवं नीतियॉ

उत्तराखण्ड सरकार का ग्रामीण पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता परिदृश्य–2014

राज्य के प्रत्येक परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। स्थानीय सरकार, पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग एवं ग्रामीण समुदाय की सहभागिता से पेयजल सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाते हुए भूजल, सतही जल एवं जल स्रोतों का संरक्षण एवं सम्वर्धन सुनिश्चित करना।

संचालित कार्यक्रमों की सूची

1.2.1 विश्व बैंक पोषित 'उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना (सैक्टर कार्यक्रम)'

1.2.2 केन्द्र सरकार पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

1.2.2.1 प्रोग्राम फण्ड – स्थायित्व

1.2.2.2 सपोर्ट फण्ड – 'संचार एवं क्षमता विकास इकाई'/डब्ल्यू0एस0एस0ओ0 एवं 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम'

1.2.3 केन्द्र सरकार पोषित 'निर्मल भारत अभियान'

1.2.1 विश्व बैंक पोषित 'उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना (सैक्टर कार्यक्रम)

1. सेक्टर कार्यक्रमः उद्देश्य

- ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के स्तर में सुधार लाकर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के स्थायी लाभों द्वारा ग्रामीणों के जीवन में सुधार किया जाना;
- ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में दीर्घकालिक स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को उपयुक्त नीति निर्धारण में सहायता करना।

2. सेक्टर कार्यक्रम : मुख्य बिन्दु

- माँग आधारित प्रणाली;
- ग्रामीण समुदाय की सहभागिता अनिवार्य;
- समुदाय द्वारा योजना का नियोजन एवम् क्रियान्वयन;
- समस्त सामग्रियों एवम् सेवाओं का क्रय ग्राम समुदाय द्वारा;
- पूंजी लागत में ग्रामीण समुदाय की आंशिक भागीदारी;
- ग्रामीण समुदाय द्वारा योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण की वचनबद्धता;
- एकीकृत रूप से पेयजल योजनायें, शौचालय निर्माण, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम तथा जल स्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य;
- महिलाओं की जल एवम् स्वच्छता सेक्टर में मुख्य भागीदारीः केन्द्र बिन्दु में महिला सशक्तिकरण।
- वृह्द क्षति आदि के मामले राजकीय सहायता अथवा स्कीम के बीमा से सहायता।

3. पूंजी लागत में समुदाय की भागीदारी

राज्य स्तर पर लाभार्थियों द्वारा पेयजल योजना की पूंजीगत लागत में दिये जाने वाले अंशदान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 836/उन्तीस/08–2 (22 पे0)/2008 दिनांक 16 जनवरी 2008 जारी किया गया है जिसके अनुसार योजनाओं की पूंजी लागत में समुदाय की भागीदारी निम्नवत निर्धारित की गई है।

	अंशदान की अधिकतम सीमा		**न्यूनतम सीमा नकद धनराशि**	
	निजी संयोजन से लाभान्वित परिवार	जल स्तम्भ से लाभान्वित परिवार	निजी संयोजन से लाभान्वित परिवार	जल स्तम्भ से लाभान्वित परिवार
सामान्य परिवार	R 600.00	R 300.00	R 120.00	R 60.00
अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार	R 300.00	R 150.00	R 30.00	R 15.00

1. **प्रोग्राम कियान्वयन अवधिः** सात वर्ष

   - आरम्भ की तिथि : दिसम्बर 2006
   - सम्भावित समापन तिथि : 16 जून 2014
   - 'भारत सरकार एवं विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के मध्य
     वित्तीय अनुबन्ध हस्ताक्षरित : दिनांक 16 अक्टूबर 2006

2. **केडिट आई0डी0** : 42320- IN

3. **परियोजना कियान्वयन एजेन्सी** : उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड पेयजल निगम तथा परियोजना प्रबन्धन ईकाई (स्वजल परियोजना)

4. **योजना की कुल अनुमानित लागतः** कुल लागत R 1513 करोड़ अर्थात $ 350 मिलियन

चालू योजनाओं (आउटसाइड स्वैप बास्केट) हेतु : $ 126 मिलियन

नवीन योजनाओं (इनसाइड स्वैप बास्केट) हेतु : $ 224 मिलियन

विश्व बैंक का अंश – $ 120 मिलियन

राज्य सरकार का अंश – $ 29.07 मिलियन

भारत सरकार का अंश – $ 69.10 मिलियन

समुदाय का अंश – $ 5.03 मिलियन

धनराशि R *करोड में*

क्रमाक	**विवरण**	**राज्य सरकार**	**भारत सरकार**	**विश्व बैंक**	**समुदाय का अंश**	**कुल योग**
1.	आउडसाइड स्वैप (पुरानी योजनाओं हेतु)	469.98	80.02	0	0	**550**
	प्रतिशत	**85.54**	**14.46**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
2.	इनसाइड स्वैप (नयी योजनाओं हेतु)	125.00	297.13	516.00	25.07	**963.20**
	प्रतिशत	**12.98**	**30.85**	**53.57**	**2.60**	**100.00**
	कुल योग	**594.98**	**377.15**	**516**	**25.07**	**1513.20**

	कुल प्रतिशत	**39.32**	**24.92**	**34.10**	**1.66**	**100.00**

सैक्टर कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

(1) **सकल क्षेत्र में समरूप नीति (SWAp) को अपनाया जाना –** सम्पूर्ण प्रदेश में पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में कार्यरत संस्थाओं स्वजल, जल संस्थान एवं जल निगम द्वारा किये जा रहे कार्यो को समेकित रूप से क्रियान्वित करने हेतु एक समान नीति को अपनाया जाना।

(2) **कार्यो का विकेन्द्रीकरण–** जिला स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर तथा ग्राम स्तरीय प्रशासनिक इकाईयों को जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी बनाये जाने एवं ग्राम पंचायतों के विकास संबन्धी दायित्वों को पूरा करने के लिए पेयजल से सम्बन्धित कार्यो/दायित्वों को पंचायती राज संस्थाओं को संक्रमित किया जाना।

(3) **संस्थाओं की भूमिका –** पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में संस्थाओं की भूमिका एक सुगमकर्ता के रूप में होगी जबकि योजनाओं का क्रियान्वयन एवं वित्तीय नियंत्रण ग्राम स्तर पर गठित उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समितियों के माध्यम से ही होगा।

लक्ष्य – ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के स्तर में सुधार लाकर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के स्थायी लाभों द्वारा ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार किया जाना है, इस हेतु परियोजना अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की कुल 8270 तोकों को पेयजल सुविधा से आच्छादित किया जाना है।

नीति – राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता सैक्टर में 'सकल क्षेत्र में समरूप नीति (Sector Wide Approach) को अपनाते हुए ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं का लाभ ग्रामीण जनमानस तक पहुॅचाना। संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त करने के उददेश्य से ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, ग्रामीण समुदाय, स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना। पेयजल सैक्टर संस्थाओं द्वारा मात्र सुगमकर्ता की भूमिका निभाना।

1.2.2 निर्मल भारत अभियान

पृष्ठभूमि :

व्यक्तिगत स्वास्थ्य और साफ–सफाई काफी हद तक पेयजल और समुचित स्वच्छता सुविधा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसलिए जल स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध है। अस्वच्छ पेयजल का उपयोग करना, मानव मल का सही ढंग से निपटान न किया जाना, पर्यावरण की समुचित साफ–सफाई की व्यवस्था का न होना तथा स्वंय की और भोजन की सफाई की व्यवस्था न होना, विकासशील देशों में कई बीमारियों के प्रमुख कारण रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। सरकार ने 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और महिलाओं को निजता तथा प्रतिष्ठा प्रदान करना था।

व्यक्तिगत साफ–सफाई, घरेलू स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, कूड़ा करकट निपटान, मलमूत्र निपटान और अपशिष्ट जल के निपटान को शामिल करने के लिए स्वच्छता की अवधारणा का विस्तार किया गया। स्वच्छता की इस व्यापक अवधारणा के साथ केन्द्रीय स्वच्छता कार्यक्रम में "सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान" के

नाम से "मॉग आधारित" दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसे 1999 से लागू किया गया। संशोधित दृष्टिकोण में सूचना, शिक्षा और संचार, मानव संसाधन विकास, क्षमता विकास क्रियाकलापों पर पहले से जोर दिया गया, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके और स्वच्छता सुविधाओं की मांग पैदा की जा सके। इससे वैकल्पिक वितरण तंत्र के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उपयुक्त विकल्पों का चयन करने की लोगों की क्षमता बढ़ी। इस कार्यक्रम को समुदाय उन्मुख और जनकेन्द्रित पहलों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कार्यान्वित किया गया। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों द्वारा निजी पारिवारिक शौचालय बनावाए जाने और उसका इस्तेमाल किये जाने की उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिये गये। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत क्रियाकलाप शुरू करने के अलावा विद्यालय शौचालय इकाइयों, ऑगनवाड़ी शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए भी सहायता का विस्तार किया गया।

संपूर्ण स्वचछता अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने निर्मल ग्राम पुरस्कार भी शुरू किया जिसमें पूर्ण स्वच्छता कवरेज हासिल करने की दिशा में हासिल की गई उपलब्धियों और किए गए प्रयासों को मान्यता दी जाती है। इस पुरस्कार को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई और इसने निर्मल स्थिति हासिल करने के लिए समुदाय में एक आंदोलन शुरू करने में प्रभावी योगदान दिया और इसके माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता दायरा को बढ़ाने के लिए हासिल की गई उपलब्धियों में काफी वृद्धि हुई। निर्मल ग्राम पुरस्कार की सफलता से प्रोत्साहित होकर संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर "निर्मल भारत अभियान" किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता दायरा में तेजी लाना है, ताकि नई कार्यनीतियों और संतृप्ति–करण दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को व्यापक रूप से शामिल किया जा सके।

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के आदेश संख्या W-11013/5 /2012-CRSP दिनांक 13 जून 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि Economic Affairs पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में दिनांक 07/06/2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को जारी रखते हुये परिवर्तित नाम ''निर्मल भारत अभियान'' नाम से निरन्तरता जारी रखने की संस्तुति प्रदान की गई है।

उददेश्य

क) ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार करना।

ख) देश में सभी ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मल स्थिति प्राप्त करने के साथ 2022 तक निर्मल भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना।

ग) जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

घ) ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शामिल न किये गए विद्यालयों और आंगनवाड़ी केन्द्रों को समुचित स्वच्छता सुविधाओं के साथ कवर करना और छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ–सफाई की आदतों को बढ़ावा देना।

ङ) पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

च) ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए, समुदाय प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता पद्धति विकसित करना।

घटकः–

(1) व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (2) स्कूल शौचालयों का निर्माण, (3) आंगनवाडी केन्द्रों में शौचालय निर्माण (4) सामुदायिक स्वच्छता काम्पलैक्सों का निर्माण (5) तरल एवं ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन (6) सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आई.ई.सी.) गतिविधियां

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत घटकवार वित्त पोषण :–

क्र0 सं0	घटक	प्राविधानित धनराशि	अंशदान में हिस्सा		
			भारत सरकार	राज्य सरकार	लाभार्थी अंश
1.	आई0ई0सी0 तथा क्षमता निर्माण	कुल परियोजना परिव्यय का 15 प्रतिशत (14.70 प्रतिशत आई0ई0सी0 0.30 प्रतिशत क्षमता निर्माण)	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत	शून्य
2.	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (बी0पी0एल0)	N5100.00 पर्वतीय क्षेत्रों तथा N4600.00 मैदानी क्षेत्रों के लिए तथा जहां कहीं भी सम्भव हो, मनरेगा कार्यक्रम के साथ प्राविधानों (अकुशल श्रमिक (20 मानव दिवस तक) तथा कुशल श्रमिक (06 मानव दिवस तक, मनरेगा के अन्तर्गत सामग्री मद में) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण हेतु। यह धनराशि अधिकतम R 4500.00 प्रति शौचालय होगी)	3700.00 पर्वतीय क्षेत्रों तथा N3200.00 मैदानी क्षेत्रों हेतु)	1400.00	900.00
3.	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (ए0पी0एल0 परिवारों में मात्र एस0सी0/एस0टी0, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक जिनके गृह स्थायी हों, शारीरिक रूप से विकलांग एवं महिला मुखिया परिवारों को ही प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है)	N5100.00 पर्वतीय क्षेत्रों तथा N4600.00 मैदानी क्षेत्रों के लिए तथा जहां कहीं भी सम्भव हो, मनरेगा कार्यक्रम के साथ प्राविधानों (अकुशल श्रमिक (20 मानव दिवस तक) तथा कुशल श्रमिक (06 मानव दिवस तक, मनरेगा के अन्तर्गत सामग्री मद में) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण हेतु। यह धनराशि अधिकतम R 4500.00 प्रति शौचालय होगी)	3700.00 पर्वतीय क्षेत्रों तथा N3200.00 मैदानी क्षेत्रों हेतु)	1400.00	900.00
3.	सामुदायिक शौचालय	पूर्ण कबरेज के लिये अपेक्षित वास्तिवक धनराशि (प्राक्कलन के आधार पर)	60 प्रतिशत	30 प्रतिशत	10 प्रतिशत
4.	विद्यालय शौचालय	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु N38500.00 तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु N35000.00 हजार प्रति शौचालय इकाई निर्माण	70 प्रतिशत	30 प्रतिशत	शून्य

5.	आंगनबाड़ी शौचालय	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु N10000.00 तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु N8000.00 हजार प्रति शौचालय इकाई निर्माण	70 प्रतिशत	30 प्रतिशत	शून्य
6.	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन	150 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों हेतु N 7.00 लाख, 300 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों हेतु N 12. 00 लाख, 500 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों हेतु N 15.00 लाख तथा 500 से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतों हेतु N 20.00 लाख का प्राविधान किया गया है।	70 प्रतिशत	30 प्रतिशत	शून्य

कार्यनीति –

- समुदाय नेतृत्व निर्मित और जनकेद्रिंत कार्यनीतियॉ तथा सामुदायिक संतृप्तिकरण दृष्टिकोण अपनाते हुए ग्रामीण भारत को निर्मल भारत में परिवर्तित करने की रणनिति है।
- जागरूकता सृजन और घरों, विद्यालयों में स्वच्छता सुविधाओं के सृजन की मांग पैदा करने तथा स्वच्छ वातावरण पर जोर देते हुए मॉग उन्मुख दृष्टिकोण को जारी रखा जाना है।
- समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्र अपनाये जाऐंगे।
- सबसे गरीब परिवारों को निजी पारिवारिक शौचालय इकाइयों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था को विस्तृत किया गया है ताकि अन्य जरूरतमंद परिवारों को भी शामिल किया जा सके और इस तरह सामुदायिक परिणाम हासिल किये जा सकें। सृजित स्वच्छता सुविधाओं के स्थायित्व के लिए ग्राम पंचायत में पानी की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक रहेगा।
- ग्रामीण विद्यालय स्वच्छता एक प्रमुख घटक होता है और ग्रामीण लोगों द्वारा स्वच्छता को व्यापक रूप से स्वीकार करने का प्रवेश बिंदु होता है। ग्राहक की प्राथमिकताओं और स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, व्यापक प्रौद्योगिकी विकल्प उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
- गहन आईईसी अभियान इस कार्यक्रम का आधार है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी समितियों, आशा, ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला समूह, स्वसहायता समूह, गैर–सरकारी संगठन इत्यादि शामिल होते हैं। कारपोरेट घरानों को शामिल करने की रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है।
- निर्मल भारत अभियान की कार्यान्वयन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शी प्रणाली शुरू की जा रही है, जिसमें सामाजिक लेखा परीक्षा और सक्रिय जनभागीदारी शामिल है। निधि उपलब्धता के साथ ग्रामीण परिवारों की मदद करने के लिए एमएनआरईजीएस के साथ तालमेल करना भी महत्वपूर्ण होगा ताकि वे खुद की स्वच्छता सुविधाऍ सृजित कर करने के लिए धन हासिल कर सकें।

लक्ष्य– राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय विहिन कुल 886301 परिवारों में निजी शौचालय का निर्माण कराये जाने हेतु अभिप्रेरित करना। कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 3925 शौचालय विहीन विद्यालयों में शौचालयों का

निर्माण कराना, कुल 1601 शौचालय विहीन आंगनबाडी केन्द्रों में बाल अनुकूल शौचालयों का निर्माण कराना,कुल 470 सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्सों का निर्माण कराना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान किए जाने हेतु ग्राम पंचायतों में परियोजना मोड में कार्य करते हुए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्य कराना।

1.2.3 संचार एवं क्षमता विकास इकाई/जल एवं स्वच्छता सहयोगी संगठन (डब्ल्यू0एस0एस0ओ0)

पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सैक्टर में सुधार लाने हेतु वर्ष 2002–03 में मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी थी। भारत सरकार के पत्रांक W-1103/1/2002-TMII दिनां 22 जून 2004 द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास योजना को परिवर्तित करके प्रदेश में संचार एवं क्षमता विकास यूनिट स्थापित किया गया जो कि मानव संसाधन विकास एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रकोष्ठ को सहयोग प्रदान कर रहा है।

वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सुगमकर्ता के दायित्वों के निर्वहन हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम, अनुश्रवण, मूल्यांकन, अध्ययन इत्यादि कार्यो हेतु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अधीन परियोजना प्रबन्धन इकाई स्वजल परियोजना को शासनादेश संख्या 77/उन्तीस(1)/2012–(01 पे0)/01 दिनांक 2 फरवरी 2012 द्वारा जल एवं स्वच्छता सहयोगी संस्था (WSSO) घोषित किया गया है। जल एवं स्वच्छता सहयोगी संस्था द्वारा सूचना, शिक्षा एवं संचार की रणनीति तैयार करते हुए विभिन्न स्तरों पर कर्मियों एवं लाभार्थियों का क्षमता विकास किया जा रहा है। इस हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यशालाएँ/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिनसे पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, जनपद एवं राज्य स्तर पर कार्यरत अधिकारियों, विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों आदि की क्षमता को और अधिक विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

1.2.4 पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रायोजित तथा राज्य में वर्ष 2006 से 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम' के नाम से प्रारम्भ इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य समुदाय को जल गुणवत्ता, प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाली बीमारियों एवं उनके समाधान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना, राज्य के समस्त पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं निगरानी, कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण करना तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम स्तर तक की सहभागिता सुनिश्चित करना है। वर्ष 2012 में इस कार्यक्रम को पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी के नाम से संचालित किया जा रहा है।

नीति – तृणमूल पर आधार रेखा जल गुणवत्ता अनुश्रवण सामुदायिक समूहों द्वारा कराया जायेगा (ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति या जल एवं स्वच्छता पर पंचायत की स्थायी समिति।) फील्ड टैस्ट किटों, रसायनिकों और प्रशिक्षण की अदायगी के रूप में प्रारम्भिक समर्थन पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी।

लक्ष्य– 7541 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के 5 सदस्यों को प्रशिक्षण के उपरान्त रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाना, फील्ड टैस्ट किट की समयावधि समाप्त होने पर पुनर्भरण किया जाना एवं जल गुणवत्ता के सम्बन्ध में डाटा बेस तैयार कर उनका अनुश्रवण करना।

1.3 परियोजना द्वारा संचालित कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारीः–

परियोजना के कार्यो में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। सैक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर निर्मित होने वाली पेयजल योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित की जाने वाली उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदार को अनिवार्य बनाया गया है। इस हेतु शासनादेश संख्या 308/86(16)/2005 दिनांक 19 मई, 2005 जारी किया गया है। योजना के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के क्रय हेतु क्रय उप समिति में भी महिलाओं को सदस्य बनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल निर्माण का एक मूल उददेश्य यह भी है कि पेयजल एकत्रित करने में महिलाओं का कम समय लगे जिससे वे बचे हुए समय में आय–अर्जक गतिविधियॉ में भाग ले सकें ।

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण तोकों में स्वच्छता सुविधायें उपलब्ध कराना हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित इकाई के रूप में परिवार को केन्द्रित किया गया है। आंगनबाडी केन्द्रों, स्कूलों तथा निजी शौचालयों के निर्माण से महिलायें व छात्रायें लाभान्वित होगीं। इस दिशा में ग्रामीण स्तर पर घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु 'आशा' कार्यकत्रियों की सेवाओं का लाभ लिया जा रहा है।

2. वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु प्रस्तावित योजना

योजना का नाम	योजना के उददेश्य	आउटले	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
		आयोजनागत– बजट (प्रस्तावित)	आयोजनागत		आयोजनागत	
1.बाहय सहायतित उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता सैवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना। इस हेतु पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्रामीण समुदाय की भागीदारी एवं कार्यो का विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करना।	R8500 लाख	स्वजल परियोजना द्वारा परियोजना अवधि में कुल 2378 तोकों में पेयजल आच्छादन के लक्ष्य के सापेक्ष माह फरवरी 2013 तक 2092 तोकों में पेयजल आच्छादन किया जा चुका है तथा अवशेष लक्ष्यों को वर्ष 2013–14 में पूर्ण कर लिया जायेगा।	31 मार्च 2014 तक	ग्रामीण क्षेत्रों में 286 तोकों के लगभग 9152 परिवारों के 45760 जनसंख्या द्वारा बेहतर पेयजल सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। सहभागी समुदाय द्वारा निर्मित योजनाओं एवं दी गई स्वच्छता सुविधाओं से	31 मार्च 2014 तक

योजना का नाम	योजना के उददेश्य	आउटले आयोजनागत–बजट (प्रस्तावित)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट आयोजनागत	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम आयोजनागत	समय सीमा
					उच्च स्तरीय संतृप्तता। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति सैक्टर में भागीदारों में व्यवहारिक बदलाव लाना एवं कम लागत की योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए और सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना	
2. निर्मल भारत अभियान	ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थाई स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देते हुये खुले में शौच की प्रथा से राज्य को पूर्णतया मुक्त करना।	R1500 लाख	परियोजना अवधि में कुल 886301 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य था। जिसके सापेक्ष माह फरवरी 2013 तक एन0बी0ए0 के अन्तर्गत 793074 तथा नॉन एन0बी0ए0 के अन्तर्गत 18059 कुल 811133 घरेलू शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। चूंकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जनगणना 2011 के अनुसार कुल 208688 परिवारों की वृद्धि हुई है, जिस हेतु वार्षिक क्रियान्वयन कार्ययोजना 2013–14 (AIP) में 106927	31 मार्च 2014 तक	राज्य में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं से अधिकाधिक परिवारों को शौचालय सुविधाओं से आच्छादित किया जाना है। जिससे खुले में शौच की प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जा सके।	वर्ष 2017 तक प्रदेश को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त करते हुये निर्मल राज्य बनया जाना है।

योजना का नाम	योजना के उददेश्य	आउटले	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
		आयोजनागत– बजट (प्रस्तावित)	आयोजनागत		आयोजनागत	
			व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (बी0पी0एल0– 46843 तथा ए0पी0एल0– 60084) का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शौचालय विहिन विद्यालयों में कुल 3925 लक्ष्यों के सापेक्ष माह फरवरी 2013 तक एन0बी0ए0 के अन्तर्गत 3035 तथा नॉन–एन0बी0ए0 के अन्तर्गत 1198 कुल 4233 विद्यालय शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। शौचालय विहिन आंगनबाडी केन्द्रों में 1601 लक्ष्यों के सापेक्ष माह फरवरी,2013 तक एन0बी0ए0 के अन्तर्गत 350 तथा नॉन एन0बी0ए0 के अन्तर्गत 1310 कुल 1660 आंगनबाडी शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में 470 सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्सों के निर्माण के लक्ष्यों			

योजना का नाम	योजना के उददेश्य	आउटले	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
		आयोजनागत– बजट (प्रस्तावित)	आयोजनागत		आयोजनागत	
			के सापेक्ष माह फरवरी 2013 तक 100 सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्सों निर्माण कराया जा चुका है।			

3. विभाग में किए गये सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पहल (Initiatives)

1. निर्धारित आउटपुट/आउटकम को प्राप्त करने हेतु स्वजल परियोजना में कार्यरत प्रत्येक कर्मी, ग्रामीण समुदाय, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित अन्य भागीदारों की संचार एवं क्षमता विकास इकाई के माध्यम से क्षमता विकास करना। परियोजना में योजनाओं की नियोजन चरण में निरन्तर मूल्यांकन हेतु तृतीय पक्ष अनुबन्धित किया जाता है। जनपद स्तर पर नियुक्त सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों द्वारा ग्रामवासियों को ग्राम पंचायत स्तर पर ही उचित गुणवत्ता बनाये रखने हेतु निरन्तर भ्रमण किया जाता है। राज्य स्तर पर क्षमता विकास हेतु जनपद स्तरीय, विकासखण्ड स्तरीय व ग्राम पंचायत स्तरीय, विभिन्न विभागों व जनप्रतिनिधियों को समय–समय पर परियोजना के विभिन्न चरणों से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
2. कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु तकनीकी का प्रयोग कर इन्टरनेट आधारित सैक्टर सूचना तन्त्र स्व–विकसित किया गया है, जिसमें समस्त सूचनाओं/प्रगति आदि का विवरण ससमय उपलब्ध है। इससे प्रगति का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण आसानी से करना सम्भव हो पाया है। स्वजल परियोजना की अद्यतन सूचनायें **swajalsis.uk.gov.in** पर उपलब्ध है, जिससे समय एवं धन की बचत हुयी है।
3. ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु चयनित जल स्रोतों के संरक्षण एवं सर्वधन हेतु जैविक एवं अभियान्त्रिक उपाय इस आशय से करवायें जा रहे हैं कि प्रस्तावित पेयजल योजनाओं में जल की निरन्तरता बनी रहे। इस दिशा में परियोजना द्वारा छत आधारित वर्षा जल संग्रहण टैंकों का निर्माण एक अभिनव एवं अनुकरणीय पहल है।
4. प्रदेश स्तर पर भी राज्य सूचना आयोग द्वारा कराये गये एक स्वतन्त्र अध्ययन में स्वजल परियोजना को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित पारदर्शिता एवं प्रक्रियों हेतु शीर्ष स्थान पर रखा गया है।

4. गत वर्ष की परफौरमेन्स की समीक्षा

योजनावार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति के विवरण (वर्ष 2012–13)

योजना का नाम	योजना के उददेश्य	आउटले आयोजनागत –बजट	आउटपुट आयोजनागत	आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउटकम आयोजनागत	आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
1. बाहय सहायतित उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता सैवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना। इस हेतु पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्रामीण समुदाय की भागीदारी एवं कार्यो का विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करना।	R18000 लाख (उ0पे0नि0, उ0जं0स0 तथा परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना)	राज्य में परियोजना प्रारम्भ के समय कुल 39967 तोक थे जिनमें से 18825 आंशिक अथवा असेवित तोक तथा 20355 पूर्णतः सेवित तथा 787 गैर आबाद तोक थे। इनमें से परियोजना में कुल 8270 तोकों में पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना हेतु 8270 में से परियोजना अवधि में लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित 2203 तोकों को पेयजल से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिनमें से स्वजल परियोजना हेतु 463 लक्ष्य रखे गये थे।	लक्ष्य के सापेक्ष माह फरवरी 2013 तक स्वजल परियोजना द्वारा 419 तोकों को पेयजल सुविधा से आच्छादित किया गया है।	ग्रामीणों क्षेत्रों में 463 तोकों द्वारा बेहतर पेयजल सेवाओं का लाभ उठाया जाना, सहभागी समुदाय द्वारा निर्मित योजनाओं एवं दी गई स्वच्छता सुविधाओं से उच्च स्तरीय संतृप्तता। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति सैक्टर में भागीदारों में व्यवहारिक बदलाव लाना एवं कम लागत की योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए और सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना।	माह फरवरी 2013 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 419 तोकों की 13408 परिवारों की 67040 जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाओं से संतृप्त हुयी है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति सैक्टर में भागीदारों में व्यवहारिक बदलाव लाना एवं कम लागत की योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए और सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना।
2. निर्मल भारत अभियान	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण से खुले में शौच की प्रथा से राज्य को पूर्णतया मुक्त करना।	R1178.74 लाख (राज्यांश)	परियोजना अवधि में कुल 886301 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष माह फरवरी 2013 तक 811133(एन0बी0ए0, 793074 नॉन एन0बी0ए0 18059) व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। वर्ष 2012–13 में कुल 130135 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण कराये जाने	वर्ष 2012–13 के लक्ष्य के सापेक्ष माह फरवरी 2013 तक 89120 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है।	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर वर्ष 2012–13 में कुल 130135 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों निर्माण कराये जाने से ग्रामीण	वर्ष 2012–13 के लक्ष्य के सापेक्ष माह फरवरी 2013 तक 89120 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है।

योजना का नाम	योजना के उददेश्य	आउटले आयोजनागत –बजट	आउटपुट आयोजनागत	आउटपुट के सापेक्ष उपलब्धि	आउटकम आयोजनागत	आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि
			का लक्ष्य निर्धारित था। जिसके सापेक्ष फरवरी,2013 तक 89120 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है।		परिवार लाभान्वित होगें तथा खुले शौच की प्रथा में कमी आयेगी।	
			शौचालय विहिन विद्यालयों में शौचालय निर्माण का कुल लक्ष्य 3925 के सापेक्ष माह फरवरी 2013 तक एन0बी0ए0 के अन्तर्गत 3035 तथा नॉन–एन0बी0ए0 के अन्तर्गत 1198 कुल 4233 विद्यालय शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है।	वित्तीय वर्ष 2012–13 के 468 स्कूल शौचालयों के लक्ष्यों के सापेक्ष माह फरवरी 2013 तक कुल 198 स्कूल शौचालयों का निर्माण किया गया।	राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में शत–प्रतिशत शौचालय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।	वित्तीय वर्ष 2012–13 के 468 लक्ष्य के सापेक्ष माह फरवरी 2013 तक कुल 198 स्कूल शौचालय का निर्माण किया गया।
			शौचालय विहिन 1601 आंगनबाडी केन्द्रों के सापेक्ष वर्ष 2012–13 के माह फरवरी तक एन0बी0ए0 के अन्तर्गत 350 तथा नॉन एन0बी0ए0 के अन्तर्गत 1310 कुल 1660 आंगनबाडी शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है।	वित्तीय वर्ष 2012–13 के 91 आंगनबाड़ी शौचालय निर्माण के लक्ष्यों के सापेक्ष माह फरवरी 2013 तक कुल 19 आंगनबाडी शौचालयों का निर्माण किया गया।		वित्तीय वर्ष 2012–13 के 91 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लक्ष्यों के सापेक्ष माह फरवरी 2013 तक कुल 19 आंगनबाडी शौचालयों का निर्माण किया गया।
			ग्रामीण क्षेत्रों में 470 सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्सों के निर्माण के लक्ष्यों के सापेक्ष माह फरवरी 2013 तक 100 सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्सों निर्माण कराया जा चुका है।	वित्तीय वर्ष 2012–13 के 43 लक्ष्य के सापेक्ष माह फरवरी 2013 तक कुल 8 सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्सों का निर्माण किया गया।		वित्तीय वर्ष 2012–13 के 43 सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्सों के निर्माण के लक्ष्यों के सापेक्ष माह फरवरी 2013 तक कुल 8 सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्सों का निर्माण किया गया।

5. वित्तीय वर्ष 2012–13 (माह फरवरी 2013 तक) परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना की वित्तीय उपलब्धि

(**R** लाख)

कार्यक्रम का नाम	01–04–2012 को अवशेष	बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय (फरवरी 2013 तक)	टिप्पणी
1. बाहय सहायतित 'उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना'	R 574.25	R 18000.00 (उ0पे0नि0, उ0ज0सं0 एवं परियोजना प्रबन्धन इकाई स्वजल परियोजना सहित)	R 60.00	R 60.62	स्वजल परियोजना का मात्र आय–व्ययक सारांश
2. निर्मल भारत अभियान (पूर्व नाम सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान)	R 207.98	R 1178.74	R 609.41	R 450.33	

----------x----------